न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 — 2/2023

अनवान : —

1. रामेश्वर पुत्र बेलीराम जाति जाट निवासी गांधीबड़ी त0 भादरा।

—प्रार्थीया

बनाम

1. अमरसिंह पुत्र बेलीराम जाति जाट निवासी गांधीबड़ी त0 भादरा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा त0 भादरा।

असल अप्रार्थी

3. एसबीआई बैंक शाखा मूर्ति चौक त0 भादरा।
4. हनुमानगढ़ केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड शाखा भादरा।

तरतीबी अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट
सपठित धारा 8(2) राज0 कॉल0 एक्ट

उपस्थिति :—श्री सुनील बैनीवाल प्रार्थी
श्री विरेन्द्र बैनीवाल अप्रार्थी

निर्णय दिनांक: 06.02.2023

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 15 एएमएस के खाता सं0 104/67 के मु0न0 9 के किला न0 17/1 की 0.1260है0 किला न0 18/1, 19, 20, 21/1, 22/1, 23/1, 24 प्रत्येक किला की 0.253है0 किला न0 25/1 की 0.228है0 नहरी किला न0 25/2 की 0.0250है0 गै0मु0 खाला मु0न0 10 के किला न0 21 की 0.253है0 किला न0 22/2 की 0.1270है0 मु0न0 15 के किला न0 1 ता 3, 6 ता 14 प्रत्येक किला की 0.253है0 मु0न0 16 के किला न0 6/1, 6/2, 15/1, 15/2 की कुल 0.5250है0 नहरी 0 0.100है0 गै0मु0 खाला प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में है। प्रार्थी के चिपते ही चक एसडीआर में के खाता सं0 3/5 के मु0न0 16 के किला न0 6, 15, 16, 25 मु0न0 25 के किला न0 5, 6/1, 6/2 की कुल 1.5050है0 नहरी व 0.013है0 गै0मु0 रास्ता अप्रार्थी अमरसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में कृषि भूमि स्थित है।

प्रार्थी अपनी खातेदारी के मु0न0 9 के किला न0 21/1 में आवागमन के लिए अप्रार्थी अमरसिंह के मु0न0 25 के किला न0 5–6 तथा मु0न0 16 के किला न0 25 में से दक्षिणी से उत्तर पत्थर लाईन के चिपते हुए उक्त किलों के पूर्वी ओर एक गटठा चौड़ा रास्ता जो सदामत से चालू है जिसमें से होकर प्रार्थी बहुत वर्षो से आवागमन करता है। इसके अलावा प्रार्थी के पास अन्य कोई रास्ता उपस्थित नहीं है। अतः प्रार्थी उक्त प्रस्तावित रास्ता स्वीकृत करवा पाने का कानूनी अधिकारी है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व) भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद प्रार्थी व अप्रार्थी ने आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया। शेष अप्रार्थी गण को वकील प्रार्थी ने तर्क अंकित किया। तहसीलदार भादरा से रिपॉर्ट प्राप्त की गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी की खातेदारी में आवागमन के लिए प्रस्तावित रास्ते के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। मुताबिक प्रार्थना पत्र उक्त प्रस्तावित रास्ता स्वीकृत किये जाने का निवेदन है। अतः मुताबिक राजीनामा प्रार्थना पत्र स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया जिस पर वकील अप्रार्थी ने सहमती प्रकट की।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने अप्रार्थी अमरसिंह के मु0न0 25 के किला न0 5–6 तथा मु0न0 16 के किला न0 25 में से दक्षिणी से उतर पत्थर लाईन के चिपते हुए उक्त किलों के पूर्वी ओर एक गटठा चौड़ा रास्ता स्वीकृत करने का निवेदन किया। तहसीलदार भादरा की रिपॉर्ट का अवलोकन किया गया जिसमें उक्त प्रस्तावित रास्ता को दर्शाया गया है। इस प्रकार प्रार्थी के अपनी खातेदारी में आवागमन तथा नियमित उपयोग–उपभोग की दृष्टि से प्रस्तावित रास्ता स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है ।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आरटीएक्ट उपरोक्त विवेचानुसार स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भादरा को आदेशित किया जाता है कि वे रोही मौजा चक 2 एसडीआर के खाता सं0 3/5 के मु0न0 25 के किला न0 6 के दक्षिणी पूर्वी कोने से किला न0 6 में पूर्वी तरफ 19 बिस्वा लम्बा व एक बिस्वा चौडा दक्षिण से उत्तर चलते हुए मु0न0 25 के किला न0 5 के पूर्वी तरफ दक्षिण उत्तर 20 बिस्वा लम्बा व 1 बिस्वा चौडाव इसी प्रकार मु0न0 16 के किला न0 25 में पूर्वी तरफ दक्षिण से उत्तर दो बिस्वा लम्बा व एक बिस्वा चौड़ा रास्ता स्वीकृत कर उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करे।

निर्णय आज दिनांक 06.02.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़

(शकुंतला चौधरी)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़